



छत्तीसगढ़ CHHATTISGARH

P 756161

मॉडल स्कूल उपयोग हेतु इकरारनामा

प्रथम पक्षकार: श्री प्रमोद ठाकुर, जिला शिक्षा अधिकारी  
जिला बीजापुर

द्वितीय पक्षकार/उपसोपगकर्ता : श्री प्रशांत कुमार :- प्राचार्य सह सहायक क्षेत्रीय निदेशक  
डी.ए.वी. पब्लिक स्कूल, हुडको,  
मिलाई (दुर्ग)  
वास्ते डी.ए.वी. कॉलेज प्रबन्धन  
समिति, नई दिल्ली

यह इकरारनामा/अनुबंध पत्र उभय पक्षकारगण आज दिनांक .....को स्थान बीजापुर में निम्नलिखित शर्तों के आधार पर निष्पादित किया जा रहा है:-

1. यह कि प्रथम पक्षकार छ.ग. शासन द्वारा अधिकृत अधिकारी है, जिसे कलेक्टर द्वारा नोडल अधिकारी के रूप में नामांकित किया गया है। शासकीय भूमि विकसित कर निर्माण कार्य मॉडल स्कूल तैयार किया गया है। यह मॉडल स्कूल बच्चों के उच्चगुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के उद्देश्य ग्राम माझीगुड़ा, पटवारी हल्का नां. 00027 तहसील बीजापुर एवं जिला बीजापुर (छ.ग.) स्थित भूमि खसरा क्र. 126 कुल रकबा 1.96 हेक्टर पर अनुमोदित नवशे के तहत मॉडल स्कूल तैयार किया गया है।
2. यह कि उक्त वर्णित मॉडल स्कूल को द्वितीय पक्षकार को 30 वर्ष के लिए उपयोग के अधिकार के तहत प्रदान किया गया है। यह अधिकार दिनांक ..... से होकर दिनांक ..... को समाप्त होगी।
3. यह कि उक्त विद्यालय का किराया प्रति वर्ष अनुबंध की धारा 8.14 के अनुसार रु.100/- (रु. एक सौ रुपये) प्रति वर्ष देय होगा। द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार को नियमित रूप से प्रत्येक वर्ष माह जनवरी के द्वितीय पचाह तक किराया निम्नलिखित बैंक विवरण के अनुसार खाते में राशि जमा करेगा:-

नाम - पंजाब नेशनल बैंक, बीजापुर  
बैंक खाते - बीजापुर

*[Signature]*  
DIRECTOR



छत्तीसगढ़ CHHATTISGARH

P 756155

4. यह कि, उक्त मॉडल स्कूल के सुस्ता के एबज में द्वितीय पक्षकार द्वारा प्रथम पक्षकार के पास अनुबंध की धारा 7.1.1 के अनुसार रु. 50,000/- (अर्थात रु. पचास हजार मात्र) प्रति विद्यालय बतौर परफार्मेंस गारंटी बैंक गारंटी के रूप में जमा करेगा जो कि उपयोग का अधिकार संबंधित समाप्त किए जाने पर प्रथम पक्षकार द्वारा द्वितीय पक्षकार (डीएचई) को बिना ब्याज के वापस करेगा। बैंक गारंटी का अवधि समाप्त होने पर इसे पुनः द्वितीय पक्षकार द्वारा पुनर्जीवित किया जाएगा।
5. यह कि, उक्त भवन में विद्युत मीटर लगा हुआ है, उसमें जितना भी बिल आएगा, उसकी अदायगी द्वितीय पक्षकार द्वारा की जाएगी। विद्युत मीटर में द्वितीय पक्षकार द्वारा कोई छेड़छाड़ नहीं की जावेगी। अगर यदि ऐसा करता है तो उसकी जवाबदारी द्वितीय पक्षकार की होगी।
6. यह कि, उपरोक्त विद्यालय भवन को द्वितीय पक्षकार किसी अन्य को उपकिराए या माडगेज या लीज पर नहीं देगा तथा विद्यालय भवन के स्वरूप में किसी प्रकार का रद्दोबदल एवं तोड़फोड़ अथवा नवनिर्माण सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय समिति के अनुमति के बिना नहीं करेगा।
7. यह कि, द्वितीय पक्षकार उक्त भवन में किसी प्रकार का गैर कानूनी कार्य नहीं करेगा यदि ऐसा करते पाया जाता है तो उसकी जवाबदारी द्वितीय पक्षकार यानी द्वितीय पक्षकार (डीएचई) की होगी।
8. यह कि, उक्तानुसार अवधि समाप्ति पर उपयोग का अधिकार का यह अनुबंध स्वयमेव समाप्त हो जाएगा।
9. यह कि, प्रथम पक्षकार द्वारा आवश्यकता पड़ने पर विद्यालय का निरीक्षण किया जा सकता है, जिसमें द्वितीय पक्षकार (डीएचई) द्वारा पूरा-पूरा सहयोग प्रदान किया जावेगा।
10. यह कि, उक्त भवन में द्वारा पंखा- निरंक नग, ट्यूब लाइट- निरंक नग, सी.एफ.एल.- निरंक नग, सोडियम लाइट- निरंक, कॉल बैल- निरंक, फर्नीचर- 267, अलमारी- 05, स्टील रैक- 04 तथा संलग्न 06 पृष्ठों की दी गई सामग्रीयों की सूची चालू चालू हालत में दिया जा रहा है, जो कि विद्यालय खाली करते समय चालू व दूरस्त हालत में लाटाया जाएगा।
11. यह कि द्वितीय पक्षकार कमी मॉडल स्कूल को भू-स्वामित्व के अधिकार को चुनौती नहीं देगा।

आज दिनांक ..... को सभान बीजापुर (छ.ग) में उभय पक्षकारगण इस उपयोग हेतु अपनी-अपनी इकरारनामा को पढ़कर, पढ़वाकर सुनकर, समझकर, स्वस्थ चित्त मन से बिना किसी डर, दबाव व प्रलोभन से अपना-अपना हस्ताक्षर, गवाहों की उपस्थिति में कर दिए ताकि सनद रहते कला

स्थान :- बीजापुर (छ.ग.)

दिनांक :- .....

गवाह:- 1.

वी. एल. पुजाडी

2.

शिव कुमार गोगल



PRINCIPAL

DAV MURTHYANTRI PUBLIC SCHOOL  
MANJHIGUDA, BIJAPUR (C.G.)  
PIN-494444

हस्ताक्षर प्रथम अधिकारी / नोडल ऑफिसर  
District Education Officer  
District Bijapur (C.G.)

हस्ताक्षर द्वितीय अधिकारी / नोडल ऑफिसर  
District Education Officer  
District Bijapur (C.G.)

ASST. REGIONAL DIRECTOR  
DAV PUBLIC SCHOOLS  
MP & CG Zone-1  
Huddco Bhdga